भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2634
06.03.2020 को उत्तर के लिए

ई-अपशिष्ट

2634. श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितना ई-अपशिष्ट पैदा किया गया है;
(ख) क्या विकसित देशों से ई-अपशिष्ट आयातित किया जा रहा है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और गत तीन वर्षों के दौरान कितना ई-अपशिष्ट आयातित किया गया है; और
(घ) सरकार द्वारा ई-अपशिष्ट के आयात को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ): वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 244 ईपीआर (विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व) प्राधिकृत उत्पादकों की बिक्री के आंकड़ों के आधार पर ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 की अनुसूची-I में यथासूचीबद्ध विद्युतीय, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से ई-अपशिष्ट के सृजन की अनुमानित मात्रा 7,08,445 टन है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में, 1168 ईपीआर प्राधिकृत उत्पादकों की बिक्री के आंकड़ों के आधार पर 7,71,215 टन ई-अपशिष्ट के सृजन का अनुमान है। ई-अपशिष्ट सहित अपशिष्ट के सीमापार संचलन को खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के तहत विनियमित किया जाता है और इन नियमों के अंतर्गत, देश में निक्षेप के लिए या निपटान के लिए किसी प्रकार के अपशिष्ट के आयात की अनुमति नहीं है।

****